कार्यालय – उप जिलाधिकारी, धनोल्टी टिहरी गढ़वाल
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम, 2006 के तहत् प्रमाण–पत्र
उपखण्ड् स्तरीय समिति, धनोल्टी, टिहरी गढ़वाल

उपखण्ड धनोल्टी, टिहरी गढ़वाल परिक्षेत्र के मसूरी वन प्रभाग की कैमप्टी तथा भद्रीगाड़ रेंज के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड् जौनपुर अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) From Yamuna Bridge to Damta including Nainbagh Village(Total Length-24.50 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0-972 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)** के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड् स्तरीय समिति,(तहसील – धनोल्टी) की दिनांक 06-01-18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड् स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री 06-01-18..........उप जिलाधिकारी एंव अध्यक्ष, उपखण्ड् स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री.......................उप जिलाधिकारी.......................अध्यक्ष।
2. श्री.......................उप प्रभागीय वनाधिकारी.......................सदस्य।
3. श्री.......................सहायक समाज कल्याण अधिकारी.......................सदस्य।
4. श्री.......................बी०डी०सी० क्षेत्र.......................सदस्य।

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मसूरी वन प्रभाग के कैम्पटी तथा भद्रीगाड़ रेंज अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड् जौनपुर अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) From Yamuna Bridge to Damta including Nainbagh Village(Total Length-24.50 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.972 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)** के पक्ष में 30 वर्षों की लीज पर दिये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी (देहरादून) मसूरी वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एंव तत्संबंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा /आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा /ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड् स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा रही है।

बैठक में सर्वसममति से उपखण्ड् धनोल्टी परिक्षेत्र के अन्तर्गत मसूरी वन प्रभाग के कैम्पटी तथा भद्रीगाड़ रेंज अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड् जौनपुर अन्तर्गत **RoW permission for laying Optical Fiber Cable Aerial(Approx 35 Poles per KM) From Yamuna Bridge to Damta including Nainbagh Village(Total Length-24.50 KM)** तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित 0.972 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् गैर वानिकी कार्यों हेतु **Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Panjab)** को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई है।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड् स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील............. / जनपद–............

प्रतिलिपि – जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी /अध्यक्ष
उपखण्ड् स्तरीय वन अधिकार समिति